

प्रेषक,

आशीष तिवारी  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

27 अक्टूबर 2017


विषय:- फिरोजाबाद में शिकोहाबाद-भौगोंव मार्ग (एस0एच0-84) किमी0 चैनेज 0.000 से 19.5185 तक 04 लेन चौड़ीकरण हेतु 26.143158 हे0 सरक्षित वनभूमि गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2414 वृक्षों एवं 4452 पौधों के पातन कुल 6866 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-877/फिरोजाबाद/एफपी/यूपी/सिंचाई/24640/2017, दिनांक-26-9-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से फिरोजाबाद में शिकोहाबाद-भौगोंव मार्ग (एस0एच0-84) किमी0 चैनेज 0.000 से 19.5185 तक 04 लेन चौड़ीकरण हेतु 26.143158 हे0 सरक्षित वनभूमि गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2414 वृक्षों एवं 4452 पौधों के पातन कुल 6866 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।  
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव

संख्या-पी 126(1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 3- जिलाधिकारी फिरोजाबाद।
- 4- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद।
- 5- अधिषासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, फिरोजाबाद।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनुसचिव